

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक - 30/04/15

सं०- प्र०४/पी०डी०एस०-०७/२०१४-३५१७/ आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ (१९५५ का केन्द्रीय अधिनियम १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति/प्राधिकार के संबंध में बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती हैं :-

१. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग (अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की अधिसूचना ज्ञापांक २३९९ दिनांक २१.०७.२००६ जिसके द्वारा पटना अनुभाजन के स्थानीय अधिकारिता के भीतर उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति/प्राधिकार जारी करने हेतु विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना को प्राधिकृत किया गया है, को विलोपित किया जाता है।
२. सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी को उसकी पटना अनुभाजन की स्थानीय अधिकारिता के भीतर उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति / प्राधिकार विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक १७२८ दिनांक २५.०६.२००६ में अर्नर्विष्ट प्रावधानों के अधीन जारी करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
३. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होगा।
४. विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना द्वारा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व निर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति / प्राधिकार वैध रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(एल०पी०सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक:- प्र०४/पी०डी०एस०-०७/२०१४

३५१७

दिनांक:- ३०/०४/१५

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अंग्रेजी एवं हिन्दी में विषय शीर्ष के साथ दो सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की एक सौ प्रतियां अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- प्र04/पी0डी0एस0-07/2014

3517

दिनांक:- 30/04/15

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (प्रेस नोट सहित)/ विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/ अपर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी 04 एवं 07, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/ महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/महामंत्री, बिहार केयर प्राईस डिलर एसोसियशन, भिखना पहाड़ी पटना/ महामंत्री बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रभारी अनुभाजन पटना

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- प्र04/पी0डी0एस0-07/2014

3517

दिनांक:- 30/04/15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

**Govt. Of Bihar**  
**Food & Consumer Protection Department**


**Notification**

Patna-15, Dated –

No. Pra.4/PDS-07/2014- / In exercise of power conferred by Sec 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Control Act 10 of 1995). The State Government of Bihar is hereby please to issue the following orders regarding issuance of licence of fair price shops :-

1. Food, Supply and Commerce Department (now Food & Consumer Protection Department) Notification Memo No. 2399 dated 21.07.2006 by which Special Officer Rationing incharge Patna has been authorised to issue licence for fair price shops under local jurisdiction of Patna Rationing is hereby repealed.
2. The concerned Sub-divisional Officer is hereby authorized also to issue fair price shops licences under his local jurisdiction of Patna Rationing under the provisions contained in the departmental notification memo no. 1728 dated 25.06.2006.
3. This order shall come into force from the date of issuance of this notification.
4. All such licences which have been issued prior to issuance of this notification by Special Officer Rationing, Patna shall remain valid.

By the Order of Governor

  
(L.P. Singh)

Joint Secretary to Government